न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 65/2019
GCMS Case No. 2019/00208

सायल :–	बनाम	गैरसायलः–
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली		भीकमचंद पुत्र उदयराम जाति कलाल निवासी गांधी नगर मंडिया रोड़ पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :

सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली
गैरसायल स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 8-12-2022

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 26.06.2019 को गैरसायल भीकमचंद पुत्र उदयराम जाति कलाल निवासी गांधी नगर मंडिया रोड़ पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा **2(ख)(1)/3** के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली पाली क्षैत्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2007 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में कुल 08 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है, सभी प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज हुए है। गैर सायल शराब बेचने का आदी है तथा अन्य लोगो को भी शराब बेचने के लिए प्रेरित करता है। आमजन गैर सायल के खिलाफ पुलिस मे शिकायत करने से कतराते है। गैर सायल किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार होने के उपरान्त न्यायालय से जमानत पर छुटने पर यह अपराध करना एवं अन्य लोगों को भी अपराध करने के लिए प्रेरित करता है गैर सायल के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	पुलिस थाना	मु0न0/दिनांक	धारा	नतीजा अदालत
1	आबकारी पाली	76/2007	16/54 आबकारी अधिनियम	जैर ट्रायल
2	कोतवाली	102/30.4.10	16/54 आबकारी अधिनियम	दिनांक 14.9.12 को सीजेएम कोर्ट पाली से पांच साल के लिए पाबन्द।
3	कोतवाली	446/2010	16/54 आबकारी अधिनियम	दिनांक 20.11.13 को सीजेएम कोर्ट पाली से 1 वर्ष के लिए पाबन्द व 200 रूपये अभियोजन व्यय
4	कोतवाली	530/2010	16/54 आबकारी अधिनियम	दिनांक 16.2.12 को सीजेएम कोर्ट पाली से 1 वर्ष के लिए पाबन्द व 100 रूपये अभियोजन व्यय
5	कोतवाली	131/2013	16/54 आबकारी अधिनियम	जैर ट्रायल
6	कोतवाली	623/2014	20/54 आबकारी अधिनियम	दिनांक 20.6.15 को एसीजेएम पाली से 1 वर्ष के लिए पाबन्द व 300 रूपये अभियोजन व्यय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

7	कोतवाली	386/2015	19/54 आबकारी अधिनियम	जैर ट्रायल
8	कोतवाली	572/2015	19/54 आबकारी अधिनियम	दिनांक 12.9.18 को एसीजेएम पाली से 1 वर्ष के लिए पाबन्द व 400 रूपये अभियोजन व्यय

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित होती है कि गैरसायल भीकमचंद पुत्र उदयराम जाति कलाल निवासी गांधी नगर मंडिया रोड़ पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली शराब के धन्धे में लिप्त है एवं आदतन एवं आलेदर्जे का शराब तस्कर है जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है, जिसके आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा **2(ख)(1)/3** राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि उसके विरूद्ध पूर्व में गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही की गई थी। दिनांक 24.1.2018 को श्रीमान के आदेशानुसार गैरसायल के खिलाफ खोली गई गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है। गैरसायल ने इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2018 की प्रति प्रस्तुत करते हुए उक्त गुण्डा अधिनियम के प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप फरमाने का निवेदन किया।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली का आदतन शराब तस्कर, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध न्यायालय हाजा के पूर्व गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या 4/2015 में दिनांक 23.10.2018 को निर्णय पारित किया जाकर गैरसायल को एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली पाली से निष्काषित कर जिला पुलिस अधीक्षक जालौर के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये गये थे। साथ ही जिन प्रकरणो में पूर्व में इस्तागासा पेश किया गया एवं उसके फलस्वरूप गैरसायल को निष्काषित किया गया था वर्तमान में न्यायालय हाजा में चल रहे गुण्डा एक्त प्रकरण में पुनः उन्ही मुकदमो का अंकन करते हुए गैरसायल के विरूद्ध

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

इस्तगासा पेश किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गैरसायल को पुनः गुण्डा घोषित कर जिले से निष्काषित किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः परिणामस्वरूप गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक पाली एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 8-12-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)